

सेवा में,

जिला सुचना पदाधिकारी,  
भागलपुर।

विषय:- विगत छः माह में पुलिस कार्रवाई एवं उपलब्धियों की विवरणी जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा विगत छः माह में पुलिस कार्रवाई एवं उपलब्धियों की विवरणी जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में जिलान्तर्गत पुलिस कार्रवाई एवं उपलब्धी संबंधी विवरणी निम्न रूपेन है :-

- 1 बिहपुर(भवानीपुर) थाना काण्ड संख्या-177/15 दिनांक-15.06.2015, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट में वादी स0अ0नि0 कामेश्वर सिंह, भवानीपुर ओ0पी0 द्वारा अभियुक्त दया शंकर ठाकुर, पिता स्व0 कृष्णदेव ठाकुर, सा0 गनौल, थाना बिहपुर(भवानीपुर), जिला भागलपुर को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध देशी पिस्तौल एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
- 2 खरीक थाना काण्ड संख्या-108/15, दिनांक-13.07.2015, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट के वादी अ0नि0 अशोक कुमार, थानाध्यक्ष खरीक द्वारा अभियुक्त सिपु राय उर्फ शिकारी राय, पिता विन्देश्वरी राय, सा0 नरकटिया थाना खरीक जिला भागलपुर को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
- 3 ढोलबज्जा(कदवा) थाना काण्ड संख्या-36/15, दिनांक-05.07.2015 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के वादी अ0नि0 संतोष कुमार ओ0पी0 अध्यक्ष कदवा द्वारा अभियुक्त टुनटुन सिंह पिता नागेश्वर सिंह, सा0 पचगछिया, थाना ढोलबज्जा(कदवा) जिला भागलपुर के वासा से गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
4. ढोलबज्जा(कदवा) थाना काण्ड संख्या-43/15, दिनांक-18.08.2015 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के वादी अ0नि0 संतोष कुमार ओ0पी0 अध्यक्ष कदवा द्वारा अभियुक्त अनिल सिंह पिता कारु सिंह, सा0 कासिमपुर, थाना ढोलबज्जा(कदवा) जिला भागलपुर को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
- 5 बिहपुर थाना काण्ड संख्या-236/15 दिनांक-11.08.2015, धारा-307/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-ए)(1-बी)(सी)/26/27 आर्म्स एक्ट में गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त संजय कुमार मंडल पिता गिरीश मंडल, 2 कारे मंडल पिता कमलकिशोर मंडल सा0 विशनपुर, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर को एक अवैध देशी पिस्तौल एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
- 6 खरीक थाना काण्ड संख्या-178/15, दिनांक-25.08.2015, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के वादी अ0नि0 अशोक कुमार, थानाध्यक्ष खरीक द्वारा अभियुक्त मंटु कुमार, पिता ग्यास कुमार सा0 सोनवर्षा, थाना बिहपुर जिला भागलपुर एवं गंधर्व कुमार झा, पिता शंभु नाथ झा, सा0 सर्वोदय



नगर थाना मुफ्फसील जिला भागलपुर को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।


7 बिहपुर थाना काण्ड संख्या-256/15 दिनांक-08.09.2015, धारा-25(1-ए)(1-एए)(1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट में वादी अ०नि० राजेश शरण थानाध्यक्ष बिहपुर द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त मो० आजाद, मो० साहेब, कैलाश मंडल, बुन्दा मंडल, ललन यादव, मो० आशिक के विरुद्ध एक एक अवैध देशी पिस्तौल, पाँच मैगजीन, अर्द्ध निर्मित हथियार, अर्द्ध निर्मित मैगजीन तथा हथियार बनाने का उपकरण(मिनीगण फ़ैक्ट्री), एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त मो० आजाद, मो० साहेब को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

8 ढोलबज्जा(कदवा) थाना काण्ड संख्या-51/15, दिनांक-08.10.2015, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट के वादी अ०नि० संतोष कुमार ओ०पी० अध्यक्ष कदवा द्वारा अभियुक्त पंकज पंडित, पिता वकील पंडित, सा० पैनाचक चिरौती, एवं सिकन्दर शर्मा, पिता भरत शर्मा, सा० बिन्दटोली, लौवालगाम थाना चौसा जिला मधेपुरा को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

9 ढोलबज्जा(कदवा) थाना काण्ड संख्या-52/15, दिनांक-26.10.2015, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के वादी अ०नि० संतोष कुमार ओ०पी० अध्यक्ष कदवा द्वारा अभियुक्त कपिलदेव सिंह, पिता वेदानन्द सिंह सा० पचगछिया थाना ढोलबज्जा(कदवा) जिला भागलपुर को गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध आग्नेयास्त्र एक जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

**गिरफ्तारी:**—उक्त अवधि में जिलान्तर्गत कुल 655 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है, जिसमें प्रमुख गोपालपुर(रंगरा) थाना काण्ड संख्या-132/15 दिनांक-16.06.2015, धारा-302/120(बी)/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त अरविन्द यादव पिता हरिलाल यादव सा० सधुआ थाना गोपालपुर(रंगरा) जिला भागलपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया तथा इस काण्ड में अभियुक्त मोती यादव पिता कारे लाल यादव सा० चापर थाना गोपालपुर(रंगरा) जिला भागलपुर जो करीब 17 काण्डों में संलिप्त रहे हैं, पुलिस दबिस के कारण माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं।

**बरामदगी:**— उक्त अवधि में जिलान्तर्गत 01 लूटे हुए मोटरसाईकिल, 13 अदद कम्प्युटर, चोरी गये सोना का आभूषण तथा 515.3 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गयी है।

  
पुलिस अधीक्षक, नवगछिया।

प्रतिलिपि:— प्रभारी, महानिदेशक, नियंत्रण कक्ष, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

  
पुलिस अधीक्षक, नवगछिया।